



22.02.2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 4, 1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन का उल्लेख

आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सीतानदी रेंज में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

- (3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में लगातार चोरी एवं लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, अनुज शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रदेश में नशीली पदार्थों की तस्करी की जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (5) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, मोतीलाल साहू, सदस्य, रायपुर स्थित राजधानी विहार, निजी आवासीय कालोनी की आंतरिक मुख्य सड़क को प्रस्तावित मास्टर प्लान में सार्वजनिक सड़क दिखाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (6) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला बस्तर अंतर्गत ग्राम जैतगिरी के एक आदिवासी किसान की धान खरीदी नहीं होने से मौत होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (7) श्री राजेश मूणत, सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियम विरुद्ध विज्ञापनों पर व्यय एवं अन्य कार्य किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (8) श्री इन्द्र साव, सदस्य, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौलिहा जलाशय निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (9) श्री इन्द्रकुमार साहू, सदस्य, भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (10) श्री इन्द्रकुमार साहू, सदस्य, चरौदा-गिधवा-छटेरा मार्ग निर्माण हेतु क्रय की गई किसानों की भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (11) श्री ईश्वर साहू, सदस्य, साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (12) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, नगर पंचायत गुण्डरदेही में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (13) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, महासमुन्द जिले के जाड़ामुड़ा में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (14) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, प्रदेश में आयरन और बॉक्साईट की खदानें शुरू नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (15) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में सोलर ड्यूल पम्प का संचालन नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (16) श्री रामकुमार टाप्पो, सदस्य, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक मैनपाट एवं बतौली में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (17) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत—चाकापेंडरा—प्रतापपुर—गाड़ामोर मार्ग के उन्नयन में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि प्रदान नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (18) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, जिला खैरागढ़—छुईखदान—गंडई के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि का वितरण नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (19) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, बिलासपुर जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूलों हेतु ब्लेजर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (20) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, महासमुन्द एवं सारंगढ़—बिलाईगढ़ जिले में साहूकारों एवं व्यवसायियों द्वारा ग्रामीण जनता को ऊंचे ब्याज दर पर राशि देकर वसूली किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (21) श्री भईयालाल राजवाड़े, सदस्य, जिला कोरिया, विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में संचालित शासकीय पोल्ट्री फार्म से स्थानीय शहरवासियों को परेशानी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (22) श्री ईश्वर साहू, सदस्य, साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडी बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (23) श्री ईश्वर साहू, सदस्य, साजा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (24) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, प्रदेश में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में नियुक्ति एवं पदोन्नति में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (25) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य, प्रदेश में हाथियों के हमले से जन-धन की हानि एवं हाथियों की निरंतर मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (26) श्री आशाराम नेताम, सदस्य, कांकेर शहर के तालाबों में अवैध अतिक्रमण किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (27) श्री आशाराम नेताम, सदस्य, कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांकेर से देवरी-पीढ़ापाल सड़क मार्ग जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (28) डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला सक्ती के धान खरीदी केन्द्रों में धान का उठाव नहीं होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (29) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर नगर निगम अंतर्गत निर्माणाधीन स्काईवॉक का कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (30) श्री राजेश मूणत, सदस्य, जल संसाधन विभाग द्वारा लंबित जलभराव बकाया राशि की वसूली नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (31) श्री राजेश मूणत, सदस्य, प्रदेश में गिट्टी तथा रेती उत्खनन की नीति तैयार नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
- (i) सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कों का पुनर्निर्माण करने,
 - (ii) सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुलिस चौकी खोलने,
 - (iii) सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन निर्माण करने,
 - (iv) सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
- (2) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
- (i) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाटाबोड़ के लिये नवीन भवन निर्माण करने तथा
 - (ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरुर के लिये नवीन भवन निर्माण करने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित समय

6. प्रस्ताव

1 घंटा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री, निम्नलिखित, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

“छत्तीसगढ़ राज्य जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के वनवास काल में वन गमन मार्ग रहा है, प्रभु श्री राम इस प्रदेश के तीन करोड़ जनता के आराध्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से यह सदन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित निर्मित भव्य राम मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा किये जाने पर कृतज्ञ है।”

7. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा

2 घंटे (1)

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री के विभागों से संबंधित-

- मांग संख्या 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

2 घंटे (2)

श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के विभागों से संबंधित-

- मांग संख्या 10 वन
मांग संख्या 17 सहकारिता
मांग संख्या 23 जल संसाधन विभाग
मांग संख्या 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3 घंटे (3)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित-

- मांग संख्या 1 सामान्य प्रशासन
मांग संख्या 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

| | | |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 16 | मछली पालन |
| मांग संख्या | 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 32 | जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 35 | पुनर्वास |
| मांग संख्या | 36 | परिवहन |
| मांग संख्या | 56 | ग्रामोद्योग |
| मांग संख्या | 60 | जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 65 | विमानन विभाग |
| मांग संख्या | 71 | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग |

8. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1)

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "प्रदेश के किसानों के हित के लिये "मण्डी शुल्क" 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत पूर्ववत तथा अतिरिक्त "कृषक कल्याण शुल्क" को समाप्त किया जाये।"

30 मिनट (2)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि 'जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाये।"

30 मिनट (3)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि 'मुंगेली विधान सभा के अनुसूचित जनजातियों बाहुल्य ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जायें।"

रायपुर,
दिनांक 22 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा